भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2764
12 मार्च, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

खाद्य अपमिश्रण के मामलों की शिकायत के लिए पोर्टल

2764. श्री अरविंद धर्मापुरी:
श्रीमती मीनाक्षी लेखी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या खाद्य पदार्थों में हानिकारक रसायनों की उपस्थिति के संबंध में शिकायतें दर्ज कराने के लिए सरकार का पोर्टल है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के ऑनलाइन शिकायत पोर्टल का नाम 'फूड सेफ्टी कनेक्ट' है, जहां उपभोक्ता खाद्य पदार्थों के साथ-साथ खाद्य वस्तुओं में हानिकारक रसायनों की व्याप्तता के संबंध में शिकायत पंजीकृत कर सकता है। शिकायत पंजीकरण हेतु https://foscos.fssai.gov.in/consumergrievance पोर्टल है।

शिकायत प्रस्तुत करने पर एक विशिष्ट रेफरेंस आईडी सृजित होती है जो शिकायत की स्थिति ट्रेक करने के लिए ई-मेल/ एसएमएस द्वारा शिकायतकर्ता को भेजी जाती है। प्राप्त शिकायत आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई हेतु खाद्य व्यापार संचालक (एफबीओ)/ राज्य नामित अधिकारी को प्रेषित की जाती है।

एफएसएसएआई द्वारा उपभोक्ता शिकायत की स्थिति की निगरानी राज्य/ संघ राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत तिमाही रिपोर्ट के माध्यम से की जाती है जिसे केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) की बैठक में राज्यों के साथ उठाया जाता है, इसमें सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों का प्रतिनिधित्व होता है।

******